न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 38/2024

उनवान

रामेश्वरलाल पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
—— वादी :— जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. फूला पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
——प्रतिवादीगण :—1 अनुपस्थित
2 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 21.06.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी के वंर्किग खसरा नम्बर 4507 रकबा 3—15—0, हाल खसरा नम्बर 4088 रकबा 0.06, 4089 रकबा 0.07, 4090 रकबा 0.12 की आराजी वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 448 दिनांक 21.10.05 से श्रीमान उपखण्ड अध्किारी महोदय के आदेश से भूमि विस्तार हेतु भूमि को आबादी करने का जमाबंदी में अंकन किया गया। उक्त भूमि आबादी होने से प्रतिवादी संख्या 1 फूला पुत्र मांगीलाल के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 13.02.23 को वादी को बैचान कर दी। किन्तु साबिक खसरा नम्बर 4507 को हाल राजस्व अभिलेख में आबादी दर्ज करने के बजाय सिवायचक मेला मेदान में दर्ज कर दिया। उक्त आराजी का हाल राजस्व मानचित्र भी त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया। अतः हाल राजस्व अभिललेख में विवादित सम्पदा को आबादी अंकित कर विकय पत्र अनुसार वादी के नाम दर्ज किया जावे।व वर्तमान नक्शा में दुरूस्ती की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित होने के कारण विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के [illegible] व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अ[illegible] अधिवक्ता वादी व [illegible] पैराकार की बहस पर मनन किया गया। वंर्किग खसरा न[illegible] 4507 रकबा 3—15—[illegible] मेला स्थान की आराजी नामान्तकरण संख्या 448 दिनांक 21.10.05 द्वारा आबादी [illegible] हेतु आरक्षित करने का अंकन किया गया। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 4088 रकबा 0.06, 4089

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:31:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

रकबा 0.07, 4090 रकबा 0.12 आधार जमाबंदी में सिवायचक खाते में व किस्म गै.मु. मेला स्थल दर्ज है। तथा उक्त नामान्तकरण का नोट अंकित करते हुये तीनो खसरा नम्बर को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने का अंकन किया गया। हाल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 में उक्त तीनो खसरा नम्बर को सिवायचक खातें में अंकित करते हुये किस्म गै.मु. मेला स्थल अंकित की है। वादी का कथन है कि उसके द्वारा उक्त आबादी भूमि में से 750 वर्ग गज भूमि जरियें पंजीकृत विकय पत्र कय की थी। किन्तु आबादी भूमि के विकय पत्र का नामान्तकरण राजस्व अभिलेख में नही किया जाता है। वादी ने भूमि कय की है तो नियमानुसार ग्राम पंचायत में नाम/पट्टा हेतु आवेदन करना चाहिये। वादी का यह भी कथन है कि हाल राजस्व मानचित्र में भूमि के तीन टुकडे करते हुये गलत व त्रुटिपूर्ण अंकन कर दिया है। किन्तु वादी द्वारा अपने वाद में स्पष्ट नही किया है कि हाल राजस्व मानचित्र में क्या त्रुटि की है। बंदोबस्त विभाग ने मौका स्थिति अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 4507 के तीन नये खसरा नम्बर बनाये है जो त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की श्रेणी में नही आता है। वंर्किग खसरा नम्बर को राजस्व अभियान में आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किया गया था। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी गै.मु. मैदान के रूप में अंकित कर दी गयी जबकि आधार जमाबंदी में आबादी विस्तार का नोट अंकित है। तहसीलदार नसीराबाद को हाल जमाबंदी बनाते समय उक्त नामानतकरण का नोट भी भूमि पर अंकित करना था। अतः वाद में वादी मात्र हाल खसरा नम्बर 4088 रकबा 0.06, 4089 रकबा 0.07, 4090 रकबा 0.12 को आबदी विस्तार हेतु आरक्षित करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 4088 रकबा 0.06, 4089 रकबा 0.07, 4090 रकबा 0.12 की भूमि पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी को राजस्व अभिलेख में आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:31:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामेश्वरलाल बनाम फूला

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 38/2024
पेश करने की दिनांक — 04.03.24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 4088 रकबा 0.06, 4089 रकबा 0.07, 4090 रकबा 0.12 की भूमि पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी को राजस्व अभिलेख में आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21 माह 06 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायंला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:31:41 IST
Reason: SelfAttested